

पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2019/IV - 1513/ 1091

दिनांक: 30-1-2019

सेवा में,

✓ M/s Fest Homes Developers Pvt. Ltd.,  
7th Floor, Tower - B, Plot No. - 08,  
Sector - 127, Noida - 201301

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2019 के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तावित स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 02/जे&के, सैक्टर - 150, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. स्वीकृत ले-आउट प्लान की स्वीकृति संख्या IV-1451/स्वीकृति - 950 दिनांक 17.01.2017 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से लीज धारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा।
16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्लिंग रेगूलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे।

17. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में पृष्ठ 9 से 11/सी पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा।
19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनउपयोगित एफ0ए0आर0 4306.392 वर्ग मी0 के आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण के रूप में दर्शाया गया है। इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी।
20. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
22. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तों/लीज डीड की शर्तों/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
23. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोटिंग यूज में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
24. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
26. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
27. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
28. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
29. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन,

रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।

30. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
31. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
32. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
33. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
34. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
35. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
36. सभी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा - प्रदूषण, पर्यावरण, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, अग्निशमन, एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तों का यथावत अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आबंटी/आवेदक का होगा, जिसका पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त एवं निष्प्रभावी माने जायेगे।
37. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं0 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्यो हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।
38. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा - निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा।
39. आबंटी संस्था को भवन स्वामी व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

**सब लीज भूखण्ड एस0सी0 - 02/जे & के, सैक्टर - 150 पर प्रस्तावित निर्माण का विवरण**

● भूखण्ड का क्षेत्रफल	=	72,000.00 वर्ग मी0
● स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन		
आवासीय	=	21,420.00 वर्ग मी0
वाणिज्यिक	=	180.00 वर्ग मी0
कुल	=	21,600.00 वर्ग मी0

- प्रस्तावित भू-आच्छादन
  - आवासीय = 12,961.306 वर्ग मी0
  - वाणिज्यिक = 176.666 वर्ग मी0
  - कुल = 13,137.972 वर्ग मी0**
- स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार कुल अनुमन्य एफ0ए0आर=1,95,219.390 वर्ग मी0
  - अनुमन्य आवासीय = 1,94,859.390 वर्ग मी0
  - 5% ग्रीन बिल्डिंग हेतु एफ0ए0आर0 = 9,742.969 वर्ग मी0
  - कुल अनुमन्य आवासीय = 2,04,602.359 वर्ग मी0**
  - वाणिज्यिक = 360.00 वर्ग मी0
  - कुल अनुमन्य एफ0ए0आर0 5% ग्रीन बिल्डिंग सहित = 2,04,962.359 वर्ग मी0**
  - अनुमन्य सेवा क्षेत्रफल FAR का 15% = 29,282.910 वर्ग मी0
- प्रस्तावित एफ0ए0आर0
  - आवासीय = 2,03,966.525 वर्ग मी0
  - वाणिज्यिक = 359.223 वर्ग मी0
  - कुल = 2,04,325.748 वर्ग मी0**
  - प्रस्तावित सेवा क्षेत्रफल FAR का 15% = 29,180.684 वर्ग मी0

#### घनत्व(डेन्सिटी गणना)

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 72,000.00 वर्ग मी0
- स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स = 1966 यूनिट
- कुल प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स = 1357 यूनिट
- कुल प्रस्तावित सर्वेट यूनिट्स = 304 यूनिट
- व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या = 1966 X 4.5 = 8847 व्यक्ति
- प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट = 1357 X 4.5 = 6107 व्यक्ति
- प्रस्तावित सर्वेट यूनिट = 304 X 2.25 = 684 व्यक्ति
- कुल व्यक्तियों की संख्या = 6791 व्यक्ति

#### पार्किंग का विवरण

- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता आवासीय(2,04,602.36/80) = 2558 पार्किंग स्थल
- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता वाणिज्यिक (360/50) = 7 पार्किंग स्थल
- **कुल आवश्यक पार्किंग स्थल = 2565 पार्किंग स्थल**
- प्रस्तावित पार्किंग स्थल(बेसमेंट)(48927.62/30) = 1631 पार्किंग स्थल
- प्रस्तावित पार्किंग स्थल(पो0/स्टिक्ट)(47954.559/30) = 1598 पार्किंग स्थल
- खुले क्षेत्र में पार्किंग स्थल(4623.50/20) = 231 पार्किंग स्थल
- **कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल = 3460 पार्किंग स्थल**

## हरित क्षेत्र का विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 72,000.00 वर्ग मी०
- प्रस्तावित भू-आच्छादन = 13,137.972 वर्ग मी०
- कुल खुला क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल (72,000.00 - 13,137.972)  
= 58862.028 वर्ग मी०
- ग्रीन क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) = 29,431.014 वर्ग मी०
- प्रस्तावित ग्रीन क्षेत्रफल = 30669.789 वर्ग मी०
- कुल पौधों की आवश्यकता 58862.028/100 = 588.62 = 589 पौधे

आबंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल 600 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधी एवं घने छायादार दर्शाये गये है ।

सैटबेक विवरण:- ले-आउट के अनुसार निम्नवत है:-

सैटबेक	अनुमन्य (मी०)	प्रस्तावित (मी०)	
		तहखाना	भवन
अग्र	16.0	6.0	16.0
पृष्ठ	8.0	6.0	8.0
बाई साइड	8.0	6.0	8.0
दाई साइड	8.0	6.0	8.0

## तलवार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	सर्विस क्षेत्रफल/ 15% (वर्ग मी०)	प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
बेसमेंट			2908.663	....
भूतल/स्टिक्ट	आवासीय व वाणिज्यिक	21600.00	875.897	1686.732
प्रथम तल	आवासीय व वाणिज्यिक		709.421	6898.536
द्वितीय तल	आवासीय		718.928	6772.009
तृतीय तल	आवासीय		718.928	6772.009
चतुर्थ तल	आवासीय		718.928	6772.009
पंचम तल	आवासीय		718.928	6772.009
छटवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
सातवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
आठवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
नौवा तल	आवासीय		718.928	6772.009
दसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009

ग्यारहवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
बारवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
चौदहवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
पन्द्रहवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
सोलहवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
सत्रहवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
अट्ठारहवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
उन्नीसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
बीसवां तल	आवासीय		1055.598	6772.009
इक्कीसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
बाइसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
तैइसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
चौबीसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
पच्चीसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
छब्बीसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
सत्ताइसवां तल	आवासीय		718.928	6772.009
अटठाइसवां तल	आवासीय		683.199	6456.217
उन्नतीसवां तल	आवासीय		683.199	6456.217
तीसवां तल	आवासीय		860.454	6456.217
इक्कतीसवां तल	आवासीय		411.139	4111.247
बत्तीसवां तल	आवासीय		185.893	1833.974
टैरिस तल	....		1610.72	....
कम्युनिटी बिल्डिंग-1	....		805.302	219.333
कॉमर्शियल बिल्डिंग-1	....		....	55.217
कम्युनिटी बिल्डिंग-2	....		1072.581	343.167
कॉमर्शियल बिल्डिंग-2	....		1.620	304.006
टैनिस सैन्टर	....		....	155.957
मीटर रूम, गार्ड रूम/ डाईवर टॉइलेट	....		62.726	48.703
कुल (5% ग्रीन बिल्डिंग सहित)	....	204962.359	29,180.684	2,04,325.748
बेसमेंट	....	....	48927.620	....
स्टिल्ट	....	....	5797.351	....
पोडियम	....	....	42157.208	....
वालकनी व O.H. Tanks	....	....	37,056.809	....
कुल नॉन एफ.ए.आर.	....	....	1,33,938.988	....
कुल क्षेत्रफल (एफ0ए0आर0, नॉन एफ0ए0आर0, बेसमेंट व स्टिल्ट सहित )	= 2,04,325.748 + 29,180.684 + 1,33,938.988 = 3,67,445.420 वर्ग मी0			

टिप्पणी - स्पोर्ट सिटी का अवशेष एफ0ए0आर0 4306.392 वर्ग मी0 जो कि आवासीय एफ0ए0आर0 1,94,859.390 वर्ग मी0 का 2.21% है, का उपयोग आवासीय / ग्रुप हाऊसिंग के उपयोग में स्पोर्ट सिटी के पूर्ण हो जाने के बाद किया जा सकेगा ।

Map for proposed Building is as per Bye  
Laws. Submitted for approval please.

 Assst.  
 Asstt. Arch  
 Architect

नाम.....  
पद.....  
नौएडा सी० गौड)  
मु० वस्तु० वि०  
न०

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी(वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. मैसर्स 3सी बिल्डकोन प्रा0 लिमिटेड, डी - 107, पंचशील एन्कलेव, नई दिल्ली - 110017 ।